चित्रकूट-पुलिस

(1) लोगों के साथ विश्वासघात करने वाला 01 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस पर फायर कर एक अपराधी फरार

06 ट्रैक्टर व 01 ट्राली, कम्प्रेशर मशीन बरामद

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जयकरन सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री राकेश मौर्य तथा उनकी टीम द्वारा लोगों के साथ विश्वासघात कर उनके ट्रैक्टर किराये पर लेकर बेंचने वाला 01 आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर 06 ट्रैक्टर, 01 ट्राली व 01 कम्प्रेशर मशीन बरामद की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

कमल सिंह पुत्र चंद्रपाल सिंह निवासी ग्राम गाढ़ा कटरा थाना शंकरगढ जनपद प्रयागराज

गिरफ्तार अभियुक्त कमल सिंह का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 25/2024 धारा 406,411 भादवि थाना बरगढ़
2. मु0अ0स0 86/2024 धारा 406/411 भादवि थाना मऊ
3. मु0अ0स0 87/2024 धारा 406/411 भादवि थाना मऊ

बरामदगीः-

1.मैसी ट्रैक्टर रजि0 नं0 यूपी0 70 सीजे 3616

2. ट्रैक्टर आईसर 333 सुपरप्लस व बिना नंबर प्लेट के रंग आसमानी बिना छतरी व ट्राली

3.ट्रैक्टर आईशर 333 फाईव स्टार सुपरप्लस व बिना नंबर प्लेट के रंग आसमानी जिसमे छतरी

4. ट्रैक्टर सोनालिका इंटरनेशनल डीआई 35 बिना नंबर प्लेट के व रंग नीला छतरी व कम्प्रेशर

5. ट्रैक्टर सोनालिका इंटरनेशनल डीआई 745 III बिना नंबर प्लेट व रंग नीला

6..ट्रैक्टर पावरटेक 434 बिना नंबर प्लेट के व रंग नीला-सफेद जिसका इंजन नंबर व चेचिस नंबर

गिरफ्तारी का स्थान व समयः-

थाना बरगढ़ अन्तर्गत मड़हा का जंगल में खाली मकान,दिनाँक 22.03.2024 की सुबह समय 03.15 बजे

सक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 19.03.2024 को वादी श्री हिमांशु सिंह पुत्र राजकुमार निवासी सेमरा थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट द्वारा थाना बरगढ़ में सूचना दी कि कमल सिंह पुत्र चन्द्रपाल सिंह निवासी गाढ़ा कटरा थान शंकरगढ़ प्रयागराज 2. बाला उर्फ दीवेशपति द्विवेदी पुत्र अवधेश चन्द्र द्विवेदी निवासी डेरावारी थाना शंकरगढ़ जनपद प्रयागराज हाल पता राजा कोठी शंकरगढ़ प्रयागराज द्वारा मेरे ट्रक्टर रजि0 नं0 यूपी0 70 सीजे 3616 मैसी व ट्राली 11 माह के एग्रीमेंट पर प्रतिमाह 24 हजार रुपये किराये पर ले गये थे किन्तु माह पूरा होने पर किराया नहीं दिया एवं मेरा ट्रक्टर कहीं हटा दिया है। इस सूचना पर थाना बरगढ़ में मु0अ0स0 25/2024 धारा 406 भादवि0 बनाम कमस सिंह व बाला उर्फ दीवेशपति द्विवेदी उपरोक्त पजीकृत किया गया था।

प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ एवं उनकी टीम द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं ट्रैक्टर की बरामदगी हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे थे कि दिनाँक 22.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर गोकुलपुर तिराहा से मैसी

ट्रैक्टर पर सवार अभियुक्त कमल सिंह उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। कड़ाई से पूंछतांछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि यह ट्रक्टर मैनें तथा मेरे साथी बाला उर्फ दीवेशपति द्विवेदी ने हिमांशु सिंह से किराये का लालच देकर लिया था और इसे बेंचने जा रहे थे। हम दोनों मिलकर लोगों को बेवकूफ बनाकर किराये का लालच देकर ट्रैक्टर ले जाते है और उन्हें ले जाकर बेच देते है और जब किसी का ज्यादा दबाव पड़ता है तो उनका कुछ पैसा वापस भी कर देते है। हम दोनों ने मिलकर और दो ट्रैक्टर, एक ट्राली व एक कम्प्रैशर मशीन मऊ जनपद चित्रकूट से तथा दो ट्रैक्टर व एक ट्राली शिवराजपुर शंकरगढ जनपद प्रयागराज से भी लोगों को बेवकूफ बनाकर किराये पर लेकर गये थे जिसमे की मऊ की एक ट्रैक्टर ट्राली को एक कबाड़ी को बेच दिया था, उस पैसे को हम दोनों ने आपस मे बांट लिया था और अपना-अपना खर्च चला रहे थे। शेष पांच ट्रैक्टर , एक ट्रैक्टर ट्राली व एक कम्प्रैशर मशीन मड़हा के जंगल मे एक खाली पड़े मकान के पास निर्जन स्थान पर लोगों की नजर से बचा कर बेचने हेतु रखे हुये है मेरा साथी बाला उर्फ दिवेशपति द्विवेदी वही जंगल में ट्रक्टरों की रखवाली कर रहा है और में ग्राहक ढूंढ़ने आया। अभियुक्त की बात कर विश्वास करके पुलिस टीम मशीन मड़हा के जंगल मे एक खाली पड़े मकान के पास निर्जन स्थान के पास पहुंची तो अभियुक्त बाला उर्फ दीपवेश द्विवेदी उपरोक्त ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर करते हुये अंधेरे का फायदा उठाकर बचकर भाग गया, मौके से 05 अदद ट्रैक्टर बरामद किये गये, जिन्हें अभियुक्तगण द्वारा लोगों को विश्वास में लेकर किराये का लालच देकर लिये गये थे।

पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर करने के सम्बन्ध में थाना बरगढ़ में मु0अ0सं0 26/2024 धारा 307 भादवि0 बनाम बाला उर्फ दीपवेश द्विवेदी पंजीकृत किया गया। थाना मऊ क्षेत्र से लोगों के बेवकूफ बनाकर किराये पर लाये ट्रैक्टरों के सम्बन्ध में थाना मऊ में मु0अ0स0 86/2024 धारा 406 भादवि व मु0अ0स0 87/2024 धारा 406 भादवि पंजीकृत हैं, उपरोक्त दोनों मुकदमों तथा थाना बरगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं 25/2024 धारा 406 भादवि0 में ट्रैक्टर बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम थाना राजापुर-</u>

1.प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री राकेश मौर्य

2. उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह

3. मुख्य आरक्षी चालक रमेशचन्द्र

4. आरक्षी योगेश

5.आरक्षी सुभम पटेल

6. आरक्षी अखिलेश

(2). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे ‘‘मिशन शक्ति अभियान-4’’ के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

‘‘मिशन शक्ति अभियान-4’’ व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 22.03.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओं को ‘‘मिशन शक्ति’’ व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102

स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(3). आज दिनाँक 22.03.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(4). आज दिनाँक 22.03.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन्स चित्रकूट में शुक्रवार की साप्ताहिक परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। परेड निरीक्षण के दौरान महोदय द्वारा कर्मचारीगण का टर्न आउट चैक किया गया तथा परेड ग्राउण्ड में उपस्थित सभी टोलियों की ड्रिल देखी गयी एवं आवश्यक सुधार हेतु प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन को निर्देशित किया गया। परेड ग्राइण्ड में आर्मोरर शैलेन्द्र यादव द्वारा इंसास राइफल तथा पिस्टल के सम्बन्ध में विस्तृत रुप से बताया गया। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवहन शाखा का निरीक्षण कर वाहनों के सही रख-रखाव हेतु प्रभारी परिवहन शाखा को निर्देशित किया गया। पुलिस लाइन स्थित मैस, आरक्षी बैरिक,क्वार्टर गार्द,आवासीय बैरक,कैण्टीन आदि का निरीक्षण कर प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण को साफ-सफाई हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा आदेश-कक्ष में कर्मचारीगण का अर्दली रुम किया गया।

इस दौरान प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण,प्रभारी यातायात श्री शिवमूरत यादव, पीआरओ श्री प्रदीप पाल एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधों की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में 05 अभियुक्तों के विरूद्ध मिनी गुण्डा की कार्यवाही की गयी।

(क). प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री श्याम प्रताप पटेल द्वारा भोली भाली जनता में आंतक फैलाकर गुण्डागर्दी करने वाले आरोपी अभियुक्त 1. उपेन्द्र पुत्र लक्ष्मण प्रसाद निवासी चौरा 2. राममिलन पुत्र रामप्यारे निवासी पहाड़ी जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110 जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(ख). थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री राम सिंह द्वारा भोली-भाली जनता में आतंक फैलाकर गुण्डागर्दी करने वाले आरोपी अभियुक्त 1.प्रदीप कुमार पुत्र बृजभूषण 2.मान सिंह पुत्र बृजभूषण निवासीगण नया पुरवा मजरा रूकमा बुजुर्ग थाना बहिलपुरवा 3. श्रीकिशन पुत्र कुबेर निवासी टेडी पुरवा मजरा मडैयन थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110 जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(6) पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 05 अभियुक्तों के कब्जे से 129 लीटर कच्ची शराब,300 किलों लहन व शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गये।

(1).उ0नि0 श्री श्री अब्दुल खलील थाना रैपुरा व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त रामऔतार पुत्र केशव वर्मा निवासी सिपाहीलाल का पुरवा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 40 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना रैपुरा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
(2).उ0नि0 श्री कृष्णदेव मिश्रा थाना राजापुर व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त गुड्डू पुत्र रामचन्द्र निषाद निवासी रगौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
(3).आबकारी निरीक्षक श्री रविशंकर गुप्ता तथा रैपुरा पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त रामलाल वर्मा पुत्र केशव वर्मा निवासी सिपाहीलाल का पुरवा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 35 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरूद्ध थाना रैपुरा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
(4).उ0नि0 श्री रामकृत्य यादव थाना मऊ तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त दानी पुत्र टटवा निवासी गढ़वा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 14 लीटर कच्ची शराब, 50 किलो लहन व शराब बनाने के उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामद शुदा लहन को मौके पर नष्ट किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
(5). उ0नि0 श्री मुकेश सिंह परिहार तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त देवीदयाल उर्फ पंडित कोल पुत्र चुनकाई निवासी सिंगवा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 30 लीटर कच्ची शराब, ढाई कुण्टल लहन व शराब बनाने के उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामद शुदा लहन को मौके पर नष्ट किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन मे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 03 वारण्टी व 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया।
(i).प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री अजीत कुमार पाण्डेय एवं हमराही आरक्षी प्रवीण पाण्डेय द्वारा मु0अ0सं0 275/2023 धारा 306 के वांछित अभियुक्त शैलेन्द्र कुमार उर्फ शनि पुत्र रामबली निवासी ग्राम मवई खुर्द थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
(ii). उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना कोत0 कर्वी एवं आरक्षी नीतू द्विवेदी द्वारा अ0सं0 139/2016 धारा 138 विद्युत अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त फूलचन्द्र पुत्र मोतीलाल निवासी गोपालकुंज तरौहा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
(iii). उ0नि0 श्री श्यामदेव सिंह एवं आरक्षी शिवपूजन द्वारा वाद संख्या 74/15 धारा 125 सीआरपीसी के वारण्टी अभियुक्त राकेश सोनकर पुत्र चन्द्रपाल निवासी खटिकाना कोपरेटिव बैंक के पीछे थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
(iv) उ0नि0 श्री मातादीन थाना पहाड़ी एवं आरक्षी नवीन कुमार द्वारा मु0अ0सं0 264/15 धारा 147/149/323/325/504/506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त संतोष सिंह पुत्र रमेश सिंह निवासी कौहरी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(8) पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव को शान्तिपूर्ण,भयमुक्त एवं स्वतंत्र सम्पन्न कराए जाने हेतु प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री सत्यमपति त्रिपाठी की उपस्थिति में कोत0 कर्वी, चौकी शिवरामपुर पुलिस एवं सशस्त्र बल के जवानों द्वारा चौकी शिवरामपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बिहारा,बरगदा पुरवा,नेबुआ पुरवा,मछरिहा,पथरौड़ी,शिवरामपुर कस्बा,लैनाबाबा रोड,स्टेशन रोड एवं रैपुरवा माफी में एरिया डोमिनेशन कर मतदान केंद्रों का भ्रमण किया गया, इस दौरान आम जनता को भरोसा दिलाया कि निर्भीक एवं स्वतंत्र होकर मतदान करें।